दिनांक 31.10.2007 को कैम्प कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना की बैठक की कार्यवृत्ति।

दिनांक 31.10.2007 को सायं 7.00 बजे से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे :–

1– पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर।
2– मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
3– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सुलतानपुर।
4– मुख्य चिकित्साधिकारी, सुलतानपुर।
5– अधि0अभि0 विद्युत, सुलतानपुर।
6– अधि0अभि0 जलनिगम, सुलतानपुर।
7– अधि0अभि0 सिंचाई, सुलतानपुर।
8– अधि0अभि0 स0क0नि0 निगम, सुलतानपुर।
9– जिला विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
10– परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 सुलतानपुर।
11–जिला कार्यक्रम अधिकारी, सुलतानपुर।
12–जिला समाज कल्याण अधिकारी, सुलतानपुर।
13–जिला पूर्ति अधिकारी, सुलतानपुर।
14–जिला सेवायोजन अधिकारी, सुलतानपुर।
15–डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0 सुलतानपुर।
16–वरिश्ठ कोषाधिकारी, सुलतानपुर।
17–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुलतानपुर।
18–जिला विद्यालय निरीक्षक, सुलतानपुर।
19–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सुलतानपुर।
20–सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, सुलतानपुर।
21–जिला पंचायत राज अधिकारी, सुलतानपुर।
22–महा प्रबन्धक दूर संचार सुलतानपुर।

बैठक में सर्वप्रथम अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा एक बार पुनः उपस्थित समिति के पदाधिकारीगण/जिला स्तरीय अधिकारीगण को इस योजना के प्रथम चरण हेतु चयनित 10 नागरिक सेवाओं के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया।

(1) इस परियोजना के अन्तर्गत एक वर्श के भीतर अर्थात दिनांक 01.09.2007 से 31.08.2008 तक यह परियोजना पूर्ण रूप से पाइलट बेसिस पर चयनित जनपदों में लागू की जानी है तथा चयनित 10 सेवाओं का लाभ कन्सल्टैन्ट के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराया जाना है।

(2) जनपद सुलतानपुर के लिए थ्री आई इन्फोटेक लिमिटेड, नई दिल्ली को कन्सल्टैन्ट के रूप में चयनित किया गया है और इस जनपद में श्री तनवीर सिंह को कन्सल्टैन्ट के रूप में इस जनपद में नियुक्त किया गया है जिनका मोबाइल नम्बर–9971699956 है। सभी जनपद स्तरीय अधिकारी कन्सल्टैन्ट को उनकी मांग के अनुसार उन्हें आवश्यक सहयोग उपलब्ध करायेंगे।

(3) कन्सल्टैन्ट के द्वारा सभी सेवाओं से सम्बन्धित कार्य पद्धति का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दिनांक 20 अक्टूबर, 2007 तक श्री आमोद कुमार, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेण्टर फार ई–गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश, यू0पी0 डेस्को भवन–9, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ को प्रस्तुत करना है। अतः सम्बन्धित कन्सल्टैन्ट से यह अनुरोध है कि इस अवधि के दौरान सभी सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों से सम्पर्क करके उनके कार्यालयों का भ्रमण करके सेवा से सम्बन्धित

अभिलेखों का अध्ययन कर लें और कार्य पद्धति की जानकारी कर लें तथा भाासनादेशों से भी भिज्ञ हो लें।

(4) यह परियोजना अभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जायेगी। प्रत्येक छः राजस्व ग्रामों पर एक सी0एस0सी0 की स्थापना की जायेगी, जिसके माध्यम से `आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।

(5) ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना इस जनपद में जिला लोकवाणी सोसाइटी के माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी जिसमें 10 सेवाओं से सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों को भी भाासन के निर्देशानुसार नामित कर लिया गया है। उक्त परियोजना के कन्सल्टैन्ट को परियोजना की स्थापना हेतु स्थायी तौर पर बैठने के दृश्टिकोण से कार्यालय जिलाधिकारी सुलतानपुर के मुख्य भवन के पूरब नवनिर्मित भवन में जनपदीय डाटा सेन्टर सुलतानपुर से लगे हुए कक्ष को आवंटित किया गया है तथा उसी कक्ष से लगे हुए उसी भवन के बड़े हाल कमरे को परियोजना की स्थापना हेतु चयनित किया गया है। इस परियोजना को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु चयनित कक्ष में साज–सज्जा एवं अन्य कार्यो में व्यय हेतु 10 लाख रूपये प्रथम किस्त के रूप में आवंटित किया गया है जो जिला लोकवाणी सोसाइटी के खाते में जमा कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में भूलेख लिपिक/वरिश्ठ प्रशासनिक अधिकारी को यह निर्देश दिये गये है कि परियोजना से सम्बन्धित बोर्ड का निर्माण तत्काल कराकर इसे निर्धारित कक्ष के सामने तत्काल लगवाना सुनिश्चित करें।

(6) ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत निम्न 10 सेवाओं को चयनित किया गया है :–

(क) प्रमाण पत्र :– इस सेवा के अन्तर्गत तहसीलों से जारी होने वाले आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र को भाामिल किया गया है तथा विकास विभाग से जारी होने वाले जन्म–मृत्यू प्रमाण पत्र तथा स्वास्थ्य विभाग से जारी होने वाले विकलांग प्रमाण पत्र को भाामिल किया गया है। इस तरह इस सेवा के अन्तर्गत राजस्व, विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग आते है। इस सम्बन्ध में यह उचित होगा कि जिला पंचायत राज अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर जन्म मृत्यु रजिस्टर को अद्यावधिक करा लें जिससे यह प्रमाण पत्र भविश्य में जारी करने पर कोई असुविधा न हो।

(ख) पेंशन सेवा :– इस सेवा के अन्तर्गत बृद्धा, विधवा तथा विकलांग पेंशन को भाामिल किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी तथा जिला प्रोवेशन अधिकारी तत्काल अपने–अपने विभाग की पेंशन सेवाओं का एन0आई0सी0 के सहयोग से कम्प्यूटरीकरण करवाना सुनिश्चित करें।

(ग) राजस्व कोर्ट :– इस सेवा के अन्तर्गत राजस्व कोर्ट से सम्बन्धित केस की सूची, केस एडजर्नमेन्ट, स्थगनादेश, अन्तिम आदेश, प्रोग्रेस ट्रैकिंग को भाामिल किया गया है। इस सेवा के अन्तर्गत जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, अपर उपजिलाधिकारी, अतिरिक्त अधिकारी, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदारों के न्यायालयों को भाामिल किया गया है और सभी पीठासीन अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने–अपने न्यायालयों के वादों का कम्प्यूटरीकरण एन0आई0सी0 के सहयोग से तत्काल कराना सुनिश्चित करें। इस जनपद में राजस्व वादों का इसके पूर्व में कम्प्यूटरीकरण कराया जा चुका है, केवल डाटा को अद्यावधिक किया जाना है। इस सम्बन्ध में सभी उपजिलाधिकारियों/तहसीलदारों को इसके पूर्व भी इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश दिये जा चुके है।

(घ) बकाया वसूली :– इस सेवा के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्र का जारी करना, वसूली प्रमाण पत्र की ट्रैकिंग, नोटिस का जारी होना तथा अदायगी के अभिलेखों का रख–रखाव भाामिल है। इस संदर्भ में मुख्य राजस्व लेखाकार तथा सभी सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों से यह अनुरोध है कि अभिलेखों को तत्काल कम्प्यूटर में अद्यावधिक कराना सुनिश्चित करें। इस जनपद में वसूली प्रमाण पत्रों का इसके पूर्व कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है केवल उन्हें अद्यावधिक किया जाना है।

(ड़) चुनाव सम्बन्धी सेवाएं :– इस सेवा के अन्तर्गत मतदाता सूची का अपडेशन, परिवर्धन, विलोपन एवं भाुद्धीकरण भाामिल है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा इस ओर अभिलेखों को अद्यावधिक किया जाना है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी देख–रेख में इस कार्य को सम्पन्न करायेंगे।

(च) आपूर्ति सम्बन्धी सेवाएं :– इस सेवा के अन्तर्गत राशन कार्डो का पंजीयन, पता परिवर्तन, सदस्यों को जोड़ना/घटाना डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी करना आदि भाामिल है। जिला पूर्ति अधिकारी से अनुरोध है कि अन्त्योदय, वी0पी0एल0 तथा ए0पी0एल0 के राशन कार्डो का ग्राम पंचायतवार, ब्लाकवार एवं तहसीलवार एन0आई0सी0 के सहयोग से कम्प्यूटरीकरण कराना सुनिश्चित करें।

(छ) सूचना का अधिकार सम्बन्धी सेवा एवं शिकायतों का निस्तारण :– इस सेवा के अन्तर्गत प्रार्थना पत्रों की ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, रिड्रेसल, अपील भाामिल है। इस सेवा में शिक्षा, विद्युत, पेयजल, पंचायत, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, ट्रेजरी, समाज कल्याण, सिचाई, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ट्रान्सपोर्ट, डिजास्टर रिलीफ सम्बन्धी विभाग को भाामिल किया गया है। यह सेवा अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि सहायक जन सूचना अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी को निर्धारित समय के भीतर शिकायतकर्ता को उसकी मांग के अनुसार उत्तर भेजना रहता है। सभी विभागों में सहायक जन सूचना अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है, इसलिए सभी सम्बन्धित विभागों को जन सूचना एवं शिकायतों के निस्तारण पर विशेश ध्यान दिये जाने की आवश्यकता होगी।

(ज) लाइसेंस :– इस सेवा के अन्तर्गत पुलिस सत्यापन, प्रथम सूचना रिपोर्ट का रजिस्ट्रेशन, अपराधों के निस्तारण/फाइनल रिपोर्ट लगाये जाने/आरोप पत्र दाखिल किये जाने की स्थिति, पासपोर्ट सत्यापन तथा चरित्र सत्यापन को रखा गया है। यह सेवा पुलिस विभाग तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित है। इस सेवा के अन्तर्गत पुलिस तथा अपर जिलाधिकारी के स्तर पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(झ) यूटिलिटी सेवाएं :– इस सेवा के अन्तर्गत गृहकर पंचायतकर, किसान क्रेडिट कार्ड तथा खतौनी की नकल जारी करने की सेवा भाामिल है। इस तरह इस सेवा के अन्तर्गत नगर विकास विभाग तथा विकास विभाग, जिला प्रबन्धक अग्रणी बैंक बैक आफ बड़ौदा तथा सभी तहसीलें भाामिल है।

(ञ) रोजगार :– इस सेवा के अन्तर्गत रोजगार कार्यालय से सम्बन्धित बेरोजगारों का पंजीयन, नये जाब का रजिस्ट्रेशन, जाब अपडेशन, जाब रिक्वायरमेन्ट की सेवा भाामिल है। इसके साथ ही विकास विभाग को दी जाने वाली नरेगा, एस0जे0आर0वाई0, पी0एम0आर0वाई, एस0जे0आर0वाई, तथा एन0आर0ई0पी0 की योजना भाामिल है। इन योजनाओं का भी कम्प्यूटरीकरण होकर बेवसाइट में डाले जाने की कार्यवाही की जानी है।

(7) इन 10 सेवाओं से सम्बन्धित जो भी महत्वपूर्ण भाासनादेश, परिषदादेश एवं विभागीय निर्देश उपलब्ध हों उन्हें एन0आई0सी0 के बेवसाइट पर डाले जाने के निर्देश दिये गये है। अतः सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में एन0आई0सी0 से सम्पर्क कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें तथा सम्बन्धित कन्सल्टैन्ट भी इस कार्य में अधिकारियों का सहयोग करें।

(8) इन सभी 10 सेवाओं को लागू करने में राज्य स्तर पर विभागीय नियमों में भी आवश्यकता के अनुसार संशोधन की कार्यवाही की जायेगी, जिससे सेवा के संचालन में किसी प्रकार की विधिक कठिनाई उत्पन्न न हो।

(9) जिला ई–गवर्नेन्स सोसाइटी के माध्यम से जिला स्तर पर समस्त कार्यवाही किये जाने का प्राविधान किया गया है। जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला लोकवाणी गठित की गयी है, जिसका मुख्य उद्देश्य जिले में ई–गवर्नेन्स कार्यकलाप का सुचारू रूप से संचालन करना है। भाासन के निर्देशानुसार जिला लोकवाणी समिति को ही इस परियोजना हेतु जिला ई–गवर्नेन्स सोसाइटी निर्धारित किया जा चुका है।

(10) इस योजना का प्रचार–प्रसार टेलीविजन, रेडियों, समाचार पत्र, सम्मेलन कार्यशाला, जन सम्मेलन, बैनर एवं पोस्टर के माध्यम से किया जाना है तथा जनसामान्य को इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जागरूक करना है।

(11) जिन विभागों में कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं है वहां पर कम्प्यूटर की व्यवस्था करायी जाय, जिससे डाटा के कम्प्यूटरीकरण में कोई रूकावट उत्पन्न न हो सके। कुछ विभागों में कम्प्यूटर खरीद कर रखे गये है और उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति चिन्ताजनक है।

सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों से यह अनुरोध है कि विभाग में कम्प्यूटर की स्थापना कर ली जाय तथा डाटा फीड करना प्रारम्भ कर दिया जाये।

(12) इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम नागरिकों को छोटे–छोटे कार्यो के लिए दौड़ कर तहसील, ब्लाक, कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े और उसे ग्रामीण अंचल में स्थापित कामन सर्विस सेन्टर के माध्यम से सस्ती एवं कम समय में सेवा उपलब्ध हो सके। इस कार्य के लिए विभागीय कर्मचारियों को भी समुचित मार्गदर्शन/प्रशिक्षण दिया जाना होगा, जिससे वे अपने दायित्व/कर्तव्यों के पालन में जागरूक हो सकें।

(13) इस योजना हेतु साफ्टवेयर के विकास का कार्य एन0आई0सी0 के द्वारा किया जायेगा। यह योजना पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोशित है। इस योजना हेतु समस्त धनराशि भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय डिजिगनेटेट एजेन्सी के माध्यम से जिला ई–गवर्नेन्स सोसाइटी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) ई–गवर्नेन्स योजना की समस्त कार्यवाही एन0आई0सी0 के माध्यम से संचालित की जायेगी। अतः जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से अनुरोध है कि कन्सल्टैन्ट की सहायता से जनपद स्तर पर विभागीय अधिकारियों का सहयोग लेकर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तथा इस सम्बन्ध में उन्हें अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के स्तर से यथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा। जनपद स्तर पर ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना का कार्य भूलेख लिपिक द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। इस कार्य में वरिश्ठ प्रशासनिक अधिकारी इनका मार्ग दर्शन करेंगे।

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना, स्वान परियोजना व लोकवाणी आदि से सम्बन्धित तकनीकी व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए सभी सम्बन्धित से वांछित सूचनाओं को कन्सल्टैन्ट को दिये जाने पर बल दिया गया।

अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि कन्सल्टैन्ट सम्बन्धित विभाग के कार्यालय जाकर कार्य की रूप रेखा तय करेंगे तथा एन0आई0सी0 द्वारा प्रत्येक विशय पर तैयार किये जाने वाले आन लाइन अथवा मैनुअली साफ्टवेयरों के निर्माण के सम्बन्ध में सहयोग करेंगे तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी उपस्थित अधिकारीगण से त्वरित गति से निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कराने में सहयोग दिये जाने का निर्देश दिया और यह भी निर्देशित किया गया कि सभी सम्बन्धित अथक परिश्रम से इस कार्य योजना को जनपद सुलतानपुर में इस प्रकार स्थापित करने का प्रयास करें कि यह जनपद इस परियोजना हेतु अनुकरणीय जनपदों में सम्मिलित हो जाय।

अन्त में यह बैठक शन्तिपूर्वक समाप्त की गयी।

(भोला नाथ मिश्र)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
सुलतानपुर।

<u>प्रतिलिपि</u>: जिलाधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
सुलतानपुर।